IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कोविड़–19(कोरोना) वैश्विक महामारी के आपदा प्रबंधन में प्रबंधन की आपदा एक शोधपरक अध्ययन

लेखक

डॉ.भूरसिंह जाटव

असिस्टेंट प्रोफेसर,

संजीवनी महाविद्यालय

बिजयनगर, अजमेर (राज.)

सारांश (Abstracts)-

आज कोरोना वायरस के कारण अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पूरी दुनिया दहशत में हैं, वहीं परिवार संस्था भी इसकी चुनौती से अछूती नहीं रहीं। इस महामारी के प्रकोप के कारण सभी को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई यानी लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक खबर के अनुसार इस लॉकडाउन के चलते चीन के शिचुआन प्रान्त में पति–पत्नी के बीच विवाद इतने बढ़ गए कि एक माह में 300 तलाक की अर्जी अदालत में दाखिल हुई। चीन की स्थानीय मीडिया के अनुसार कोरोना वायरस के खौफ के चलते लोग अब ज्यादातर वक्त घर पर रहने को मजबूर हो रहे हैं। भारत में भी इस तरह की अनेक घटनाए सामने आई जैसे कोरोना वायरस के चलते मुंबई में बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकुओं से गोद दिया क्योंकि वह उसे लॉकडाउन के कारण बाहर जाने से मना कर रहा था पर छोटा भाई उसकी बात नहीं मान रहा था। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से भाभी ने मायके आई ननद को ताना मारा कि रोज–रोज यहाँ न आया करो। ननद के यह कहने पर कि यह उसका मायका है वह तो आएगी तब भाभी ने उसकी पिटाई कर उसे लहूलुहान कर दिया। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका ने अपनी सोसाइटी की 17वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वह महिला लॉक डाउन को लेकर तनाव में थी। नोएडा में टिक–टॉक वीडियों में कुछ दिनों में लाइक न मिलने से परेशान एक 18 वर्षीय युवा ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। वडोदरा में ऑनलाइन लूडो खेल में 24 वर्षीय पत्नी द्वारा पति को 3–4 बार हरा देने पर उसने अपनी पत्नी को इतना पीटा कि उसकी रीढ की हड्डी में चोट आ गई। उसे लगा कि उसकी पत्नी खुद को ज्यादा बुद्धिमान और स्मार्ट समझती है। यह कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह छोटी–छोटी बातें भी हत्या/आत्महत्या या झगड़े का कारण हो सकती हैं? आखिर इतने असहनशील क्यों और कैसे हो गए हम?

मुख्य शब्द (Key Words)– आपदा, प्रबंधन, कोरोना, कोविड़–19, लॉकडाउन, वैश्विक, महामारी, आत्महत्या, सामाजिक, आर्थिक, संक्रमण, अर्थव्यवस्था, मानवीय आपदा, कार्ययोजना, सरकार, प्रशासनिक सेवाऐं एवं आमूलचूल परिवर्तन आदि।

प्रस्तावना–

कोरोना वायरस बीमारी (कोविड–19) एक संक्रामक बीमारी है जो हाल ही में पता चले एक नए वायरस की वजह से होती है। कोविड–19 की चपेट में आए ज्यादातर लोगों को हल्के से लेकर मध्यम लक्षण अनुभव होंगे और वे बिना किसी खास इलाज के बीमारी से उबर जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस की महामारी को नया नाम कोविड–19 (COVID-12480019) दिया है। कोरोना वायरस विश्वमारी (2019–20) की शुरुआत एक नए किस्म के कोरोनावायरस (2019-nCov) के संक्रमण के रूप में मध्य चीन के वुहान शहर में 2019 के मध्य दिसंबर में हुई। बहुत से लोगों को बिना किसी कारण निमोनिया होने लगा और यह देखा गया की पीड़ित लोगों में से अधिकतर लोग वुहान सी फूड मार्केट में मछलियाँ बेचते हैं तथा जीवित पशुओं का भी व्यापार करते हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने बाद में कोरोनावायरस की एक नई नस्ल की पहचान की जिसे 2019-nCov प्रारंभिक पदनाम दिया गया। इस नए वायरस में कम से कम 70 प्रतिशत वही जीनोम अनुक्रम पाए गए जो सार्स–कोरोनावायरस में पाए जाते हैं। संक्रमण का पता लगाने के लिए एक विशिष्ट नैदानिक पीसीआर परीक्षण के विकास के साथ कई मामलों की पुष्टि उन लोगों में हुई जो सीधे बाजार से जुड़े हुए थे और उन लोगों में भी इस वायरस का पता लगा जो सीधे मार्केट से नहीं जुड़े हुए थे। पहले यह स्पष्ट नहीं था कि यह वायरस सार्स जितनी ही गंभीरता या घातकता का है अथवा नहीं। 20 जनवरी 2020 को चीनी प्रीमियर ली केवियांग ने नावेल कोरोनावायरस के कारण फैलने वाली निमोनिया महामारी को रोकने और नियंत्रित करने के लिए निर्णायक और प्रभावी प्रयास करने का आग्रह किया। 14 मार्च 2020 तक दुनिया में इससे 5,800 मौतें हो चुकी हैं। इस वायरस से पूरे चीन में, और मानव–से–मानव संचरण के प्रमाण हैं। 9 फरवरी तक व्यापक परीक्षण में 88,000 से अधिक पुष्ट मामलों का खुलासा हुआ था, जिनमें से कुछ स्वास्थ्यकर्मी भी हैं। 20 मार्च 2020 तक थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, मकाऊ, हॉगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, वियतनाम, भारत, ईरान, इराक, इटली, कतर, दुबई, कुवैत और अन्य 160 देशों में पुष्टि के मामले सामने आए हैं।

23 जनवरी 2020 को, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के खिलाफ फैसला किया। डब्ल्यूएचओ ने पहले चेतावनी दी थी कि एक व्यापक प्रकोप संभव था, और चीनी नव वर्ष के आस–पास चीन के चरम यात्रा सीजन के दौरान आगे संचरण की चिंताएं थीं। कई नए साल की घटनाओं को संचरण के डर से बंद कर दिया गया है, जिसमें बीजिंग में निषिद्ध व्यापार, वायरस के प्रसार और नुकसान पहुंचाने की क्षमता के बारे में अनिश्चितताओं से संबंधित प्रश्न उठाए हैं, क्या यह वायरस पहले से अधिक समय से घूम रहा हैं और इसकी संभावना प्रकोप एक सुपर स्प्रेडर घटना है। 23 जनवरी 2020 को, वुहान को अलग रखा गया था, जिसमें वुहान के अंदर और बाहर सभी सार्वजनिक परिवहन को निलंबित कर दिया गया था। 24 जनवरी से आस–पास के शहर हुआंगगांग, इझोउ, चबी, जिंगझोउ और झीझियांग को भी अलग में रखा गया था। 30 जनवरी, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया, इस प्रकार का आपातकाल डब्ल्यूएचओ द्वारा 2009 के एच वन एन वन के बाद छठा आपातकाल है।

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

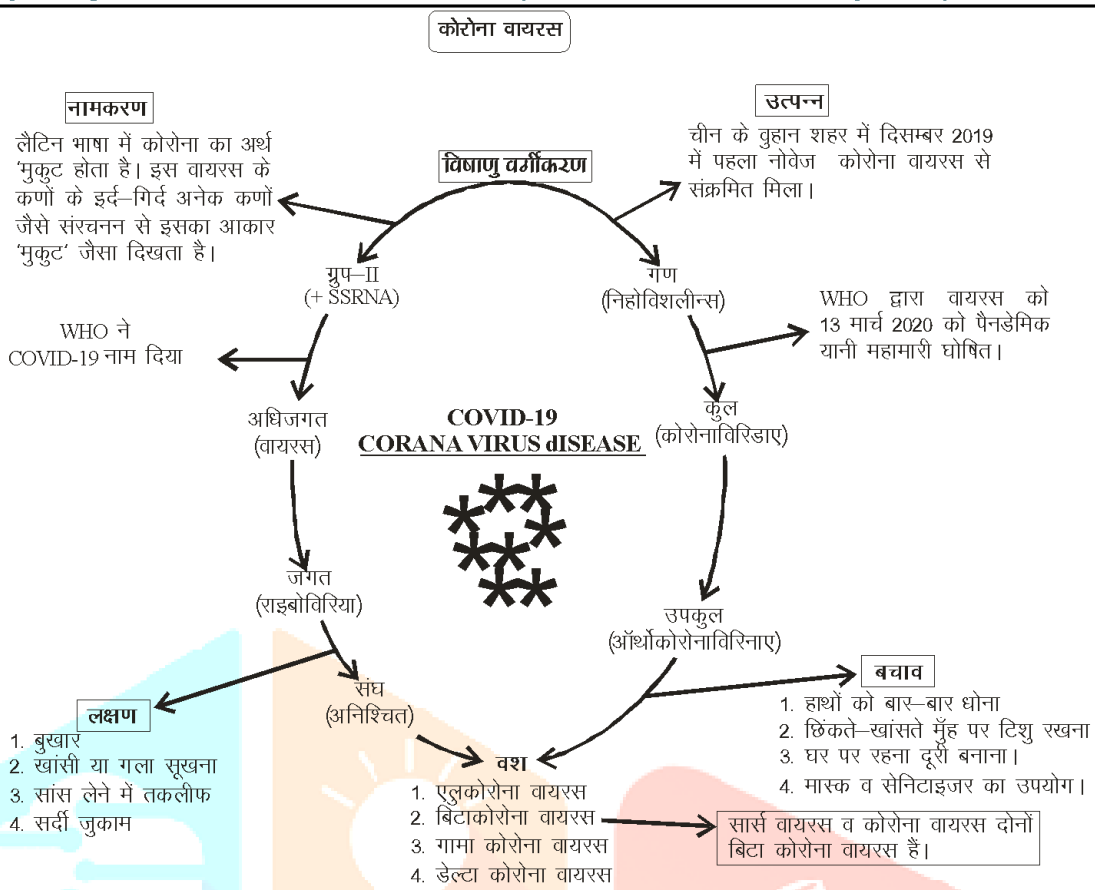

भारत–
कोरोना के कारण– जनता कफ़र्यु 22 मार्च 2020 से
पूर्ण भारत लॉकडाउन– 25 मार्च 2020 से
14 अप्रैल 2020 तक 21 दिन

31 मार्च 2020 दोपहर तक
कुल मरीज– 1192
मौत– 31
महाराष्ट्र – 204
केरल – 202
कर्नाटक – 83
उत्तरप्रदेश – 72
दिल्ली – 72
तेलगांना – 70
गुजरात – 63

कुल प्रभावित देश 192 (लगभग)
कुल मरीज– 724076
मौत– 34005
रिकवर – 151836
सर्वाधिक प्रभावित देश–

	मरीज	मौत
अमेरिका	142735	2489
इटली	97689	10779
चीन	81470	3304
स्पेन	80110	6803
जर्मनी	62435	541
फ्रांस	40174	2606
ईरान	38309	2640
ब्रिटेन	19522	1228
भारत	1192	31

02 अक्टूबर 2020 राजस्थान पत्रिका, जयपुर की पृष्ठ संख्या 20 पर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कोविड–19 (कोरोना) संक्रमित मरीजों का उल्लेख निम्न प्रकार है–

कुल संक्रमितों में टॉप 5 देश		
देश	कुल संक्रमित	ठीक हुए
अमेरिका	74,68,356	47,14,182
भारत	63,72,162	53,27,065
ब्राजील	48,20,116	41,80,376
रुस	11,85,231	9,64,242
कोलंबिया	8,29,679	7,43,653

कुल संक्रमितों में भारत देश के टॉप 5 राज्य		
राज्य	कुल संक्रमित	ठीक हुए
उत्तरप्रदेश	4,03,101	3,46,859
आंध्र प्रदेश	7,00,235	6,36,508
महाराष्ट्र	13,84,446	10,88,322
तमिलनाडु	6,03,290	5,47,335
कर्नाटक	6,11,837	4,92,412

कोरोना अपडेट 24 घण्टे में कोरोना की स्थिति			
	भारत	राजस्थान	जयपुर
संक्रमित –	61,896	2193	432
स्वस्थ –	57,058	1953	251
मौत –	661	14	1

शोध कार्य के उद्देश्य–

1. कॉविड़–19 के सामान्य परिचय का व्यापक अध्ययन करना।
2. कोविड़–19 (कोरोना) वैश्विक महामारी के आपदा प्रबंधन में प्रबंध्न की आपदा का अध्ययन करना।
3. आपदा प्रबंधन को रोकने के कानूनी प्रावधानों का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाऐं–

1. कॉविड़–19 के सामाजिक व आर्थिक प्रभाव से विश्व स्तर पर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।
2. विश्व स्तर पर आर्थिक संकट के परिणामस्वरुप लोगों का जीवन स्तर निरंतर बदल रहा है।
3. कॉविड़–19 के कारण लोगों के बदलते जीवन स्तर के साथ समाज के मानवीय मूल्यों का नैतिक पतन हो रहा है।

साहित्यिक पुनरावलोकन–

पं. विजयशंकर मेहता के द्वारा लिखित पुस्तक, "कोरोना जंग की सप्तपदी" मंजुल पब्लिशिंग हाउस भोपाल, प्रथम संस्करण–2020 में प्रकाशित है इस पुस्तक में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क उपचार और हथियार दोनों है, कोरोना योद्धा (डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, मीडिया अन्य) विषयों पर विस्तारित रूप में विवेचन एवं विश्लेषण किया गया है तथा प्रस्तुत शोध पत्र में इसकी महत्ति भूमिका रही है।

प्रो. सी.बी. यादव द्वारा लिखित पुस्तक 'देश के विमर्श' समकालीन उभरते हुए मुद्दे (Contemporary Emerging Issues) प्रथम संस्करण– 2020, पारीक पब्लिकेशन्स, चौड़ा रास्ता जयपुर, प्रस्तुत पुस्तक में देश के समकालीन उभरते हुए मुद्दों एवं समस्याों पर 'विमर्श' पर एक सतत् चिंतन किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक में कोविड़–19 के

वैश्विक व मानवीय संकट ने देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं विश्व परिदृश्य में भारत की स्थिति में होने वाले आमूल–चूल परिवर्तन पर प्रकाश ड़ाला है साथ ही देश के समक्ष उभरती चुनौतियों के संवैधानिक व लोकतांत्रिक मूल्यों एवं आदर्शों के परिप्रेक्ष्य में व्यवहारिक समाधानों को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोधपत्र में विश्वव्यापी महामारी कोविड़–19 के संदर्भ में आपदा प्रबंधन एवं प्रबंधन की आपदा का भी उल्लेख है जिसका सहयोग प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है।

डॉ.ज्योति सिड़ाना, 'कोरोना का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव'– 2020 में उघृत आलेख में कोरोना वायरस के कारण न केवल भारत अपितु समस्त विश्व पटल पर सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था को विभिन्न रुपों में प्रभावित किया जा रहा है, प्रकाश ड़ाला है।

जे.सी. चौधरी द्वारा लिखित आर्टिकल, "विश्व स्तर पर कोरोना के वर्तमान एवं बाद में प्रभाव" – मई, 2020 में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर कोरोना वायरस का प्रौद्योगिकी प्रभाव जैसे– टेलीमेडिसिन, रोबोटों पर बढ़ी निर्भरता आदि। विश्व अर्थव्यवस्था और व्यवहार्य उपायों पर कोरोना वायरस का आर्थिक प्रभाव, कोरोना वायरस का सामाजिक–सांस्कृतिक प्रभाव आदि पर व्यापक प्रकाश डाला है, प्रस्तुत शोधपत्र को पूर्णता प्रदान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

शोध प्रविधि एवं आंकड़ों का संकलन–

किसी भी शोध कार्य के लिए शोधकर्ता को तथ्यों एवं आंकड़ों का संकलन, संकलन की विधियों व आंकड़ों का वर्गीकरण, विश्लेषण, व शोध प्रतिवेदन हेतु एक निश्चित प्रारुप का अध्ययन करना होता है। प्रस्तुत शोधपत्र में प्राथमिक समंक एवं द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक समंकों के लिए प्रश्नोत्तरी व अवलोकन प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है और औपचारिक व अनौपचारिक वार्तालाप किया गया है। द्वितीयक आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित पत्र–पत्रिकाऐं, संदर्भित पुस्तकें, योजनाऐं, सरकारी वेबसाइट, न्यूज पेपर में प्रकाशित शोधपत्रों का उपयोग किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र –

प्रस्तुत शोधपत्र में विश्व स्तर, राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर राजस्थान के जयपुर शहर को सम्मिलित किया गया। विश्व स्तर पर प्रभावित देशों में अमेरिका, इटली, चीन, स्पैन, जर्मनी, फ्रांस, ईरान, ब्रिटेन व भारत को शामिल किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश में महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, तेलगाना, गुजरात तथा राजस्थान को शामिल किया गया।

कोरोना वायरस (कोविड़–19) के प्रति लॉकडाउन के बाद भारतीय सोच के रूझान–

महामारी भारत में अभी तक पांव पसार रही है। सबसे बुरी स्थिति शायद लॉकडाउन हटने पर सामने आएगी। लेकिन कोरोना के बाद की दुनिया के लिए भारतीय सोच के कुछ रुझान पहले ही दिखने लगे हैं।

पहला, यह सोच बढ़ती जा रही है कि भारत को जरूरी कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता कम करनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को नजरअंदाज किए बगैर आत्मनिर्भरता एवं स्वदेशी पर आधारित अर्थव्यवस्था तैयार करनी चाहिए। भारत को अपने विनिर्माण क्षेत्र को नए सिरे से तैयार करना और पटरी पर लाना चाहिए क्योंकि पिछले कुछ दशक में देश उसे चीन के हाथ गंवा चुका है।

दूसरा, अपनी विशाल जनसंख्या के साथ भारत के पास स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्वच्छ तकनीक, पर्यावरण संरक्षण में भारी संभावनाएं हैं, जिन्हें अभी तक खंगाला नही गया है। इसका इस्तेमाल भारत के पुनर्निर्माण में होना चाहिए। भारत के बढ़ते डिजिटल बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल प्रशासन में अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। भारत को अनुसंधान एवं विकास पर अधिक खर्च करना चाहिए। उसके पास देश के भीतर और पड़ोस में आपूर्ति श्रृंखलाएं तैयार करने का मौका है। विकास का भारतीय मॉडल भारत की वास्तविकताओं एवं सतत् विकास के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, जो हमारे सांस्कृतिक विचारों में शामिल हैं।

तीसरा, संकट ने भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं में खामियां उजागर कर दी हैं, जिन पर फौरन काम होना चाहिए। समृद्धि के पिरामिड में सबसे नीचे पड़े समाज के कमजोर तबकों पर इस संकट का सबसे अधिक बोझ पड़ेगा। भारत के पास अब बुनियादी आय, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा आदि के इर्द–गिर्द अपनी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था खड़ी करने का मौका है।

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

चौथा, संकट फैलने के साथ कई अन्य देशों के उलट भारत ने वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का रास्ता अपनाया है। संकट के बीच ठप पड़े लक्ष्य को फिर सक्रिय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास की किसी को अपेक्षा नहीं थी। प्रधानमंत्री ने विश्व नेताओं के साथ टेलीफोन पर बातचीत भी की, जिससे सभी नेताओं ने संकट से निपटने के भारत के प्रयासों की सराहना की और उसका सहयोग भी मांगा। नतीजतन भारत का औषधि क्षेत्र हाइड्रो–क्लोरोक्वीन की गोलियां बनाने तथा पूरी दुनिया को मुहैया कराने के लिए तैयार हो गया है। इस दवा की अमेरिका समेत तमाम देशों से मांग आ रही है। कई देश जरूरत वाले क्षेत्रों में भारत से सहयोग मांग रहे हैं। यही समय है, जब भारत को दूसरे देशों के साथ सार्थक संवाद और सहयोग तेज करना चाहिए और नई विश्व व्यवस्था गढ़ने में मदद करनी चाहिए। भू–राजनीतिक विचार और शक्ति की राजनीति अहम बनी रहेगी मगर भारत को वसुधैव कुटुंबकम, करुणा, टकराव खत्म करने, प्रकृति का सम्मान करने एवं पर्यावरण का ध्यान रखने जैसे विषयों पर आधारित नई विश्व व्यवस्था तैयार करने में मदद करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 75वें वर्ष में इन विषयों को सामने रखना चाहिए और उन पर चर्चा होनी चाहिए।

इससे ऑटोमोबाइल उद्योग, पर्यटन उद्योग, शेयर बाजार और दवा कंपनियों सहित कई सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं। ना सिर्फ आईपीएल, बल्कि देश–दुनिया के बड़े–बड़े समारोह भी टाल दिए गए हैं। चीन में उत्पादन में आई कमी का असर भारत के व्यापार पर भी पड़ा है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को करीब 34.8 करोड़ डॉलर तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को कोरोना कैसे प्रभावित कर रहा है।

कोविड़–19 (कोरोना वायरस) वैश्विक महामारी के आपदा प्रबंधन में प्रबंधन की आपदा–

कोविड–19 मानवीय आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों ने आपदा प्रबंधन के भीतर प्रबंधन की आपदा को भी जन्म दिया है। इस संकट से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। हमारे आपदा प्रबंधन तंत्र, प्रशासनिक व पुलिस तंत्र को दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। साथ ही ऐसी विकट आपदाओं के समय संघीय ढाँचे में केंद्र एवं राज्यों की भूमिकाओं को एकीकृत किए जाने की भी आवश्यकता है इसके लिए चुनाव सुधारों के साथ–साथ प्रशासनिक व्यवस्थाओं की भर्ती एवं प्रशिक्षण व्यवस्थाओं में भी आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। वहीं दूसरी ओर आपदा प्रबंधन तंत्र के विकेंद्रीकरण के भी प्रयास करना होगा। इस आपदा को चुनौती के साथ–साथ भारत के आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के एक अवसर के रुप में लिया जाना चाहिए।

चीन के वुहान शहर से प्रारंभ हुए कोरोना के संकट ने मानवीय अस्तित्व के समक्ष एक नवीन आपदा को जन्म दिया है। इस आपदा ने विश्व के अनेक देशों के समक्ष इससे निपटने की एक चुनौती प्रस्तुत की है। विश्व के सभी देश अपनी–अपनी राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं के अनुसार निपटने की रणनीति पर कार्य कर रहे हैं। यह संकट भारत में आने से पूर्व चीन, इटली, स्पेन, जर्मनी एवं अमेरिका जैसे विकसित देशों में तबाही ला चुका है। भारत भी अपनी राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के अनुरुप इससे निपटने की रणनीति पर काम कर रहा है। विश्व के अन्य देशों में कोविड–19 के विकराल होते हुए रुप को देखते हुए भारत ने 24 मार्च 2020 को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की। इस लॉकडाउन से जहाँ एक और संक्रमण के विस्तार की दर पर अंकुश लगा वहीं इस कदम के उपरांत भारत की सड़कों पर पलायन, भूख, पुलिस की बर्बरता व प्रशासन की मूकदर्शिता कि जो तस्वीरें देखने को प्राप्त हुई, ऐसी तस्वीर दुनिया के अन्य किसी देश में नहीं देखी गई। कोविड–19 की इस आपदा से निपटने के लिए लॉकडाउन को प्रभावी कदम माना गया परन्तु इसके कारण जो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई वे स्वयं अपने आप में एक नवीन आपदा को जन्म दे रही है। यह आपदा के भीतर किसी आपदा से कम नहीं है। इसकी वजह से आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के बहुत बड़ी मंदी के संकट में फँसने की भी आशंका दिखने लगी। भारत सरकार द्वारा इस हेतु 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा कर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का कार्य किया जा रहा है। एक ओर भारतीय मीडिया ने सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को साहसिक व राजनीतिक सूझबूझ का करार दिया तो दूसरी ओर भारत के स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासन कर्मियों एवं पुलिस कर्मियों को कोरोना की जंग में योद्धा के रुप में प्रस्तुत करने से एक ऐसे लोकमत का निर्माण हो रहा है जहाँ आलोचनाओं एवं प्रश्न का कोई स्थान नहीं हो। लेकिन ऐसी विकट परिस्थितियों में ही भारत के आपदा प्रबंधन तंत्र का सही परीक्षण करने का समीचीन अवसर होता है। इस पूरे परिदृश्य में इस प्रश्न का मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोरोना संकट और उससे

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

लड़ने के लिए उठाए गए लॉकडाउन जैसे कदम हमारी सशक्त राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था को प्रतिबिंबित करते हैं अथवा हमारे आपदा प्रबंधन तंत्र के लकवाग्रस्त होने के परिणाम को रेखांकित करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए हमें इस संकट से जुड़े विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है।

आपदा प्रबंधन को रोकने के कानूनी प्रावधान–

प्रकृति व मानव जनित आपदाएं वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर समय–समय पर आती रहती है। किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक व प्रशासनिक सक्षमता का मापन इसी बात से होता है कि वह उस आपदा से निपटने व उसके प्रभाव को कम करने में कितनी सक्षम है। भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में आजादी के लगभग 55 वर्ष उपरांत आपदा प्रबंधन के महत्व को समझा गया तथा 'आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005' 27 सितंबर 2006 को संसद द्वारा पारित लागू किया गया। जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (NDMA) के गठन का प्रावधान किया गया, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक टीम के माध्यम से कार्य करता है। यह राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण भारत में किसी भी प्रकार की आपदा के समय उस आपदा से निपटने की रणनीति बनाने एवं उस पर निगरानी रखकर विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। इसी अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में 'राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (SDMA) का गठन किया जाना था जिसका कार्य राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण की कार्ययोजनाओं को प्रत्येक राज्य में लागू करना है। यहां एक गौर करने वाली बात है कि केंद्रीय व राज्य दोनों स्तरों पर आपदा प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति क्रमशः प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा ही की जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह आयोग इस मामले में भिन्न है क्योंकि अन्य आयोगों में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हेतु या तो नियुक्ति समितियां होती हैं अथवा मंत्री परिषद द्वारा नियुक्तियाँ की जाती है। राष्ट्रीय व राज्य दोनों ही स्तरों पर आपदा प्रबंधन कार्यकारी समिति (Disaster Management Executive Council) का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है जिसकी अध्यक्षता क्रमशः केंद्रीय गृह सचिव व राज्य का मुख्य सचिव करता है। इस अधिनियम में जिला स्तर पर भी जिला कलेक्टर के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन तंत्र की एक स्पष्ट रुपरेखा है, साथ ही नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्सिव फोर्स (NDRF) के गठन का भी प्रावधान है। वर्तमान में, एनडीआरएफ में 12 बटालियन हैं, जिसमें BSF और CRPF से तीन–तीन और CISF, SSB और ITBP से दो–दो बटालियन हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम में एक सुदृढ़ आपदा तंत्र के निर्माण का प्रयास किया गया है।

कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधिनियम की धारा 6 की शक्तियों का प्रयोग करके इस लॉकडाउन को घोषित किया। जिसके अंतर्गत प्राधिकरण ने राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए। इसके अंतर्गत इस अधिनियम की धाराओं, 51 से 60 को पूरे देश में लागू कर दिया गया।

लेकिन यहां दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गौर करना होगा। पहला– क्या आपदा प्रबंधन अधिनियम का भारत में सुचारु रुप से क्रियान्वयन हो रहा है? दूसरा– क्या भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन सहित किए गए प्रयास आपदा प्रबंधन के आधारभूत मानकों को पूरा कर रहे हैं?

कोविड–19 के संकट से निपटने की तैयारियों का यदि मूल्यांकन किया जाए तो अभी तक की तैयारियों में अनेक प्रकार की कमियों को रेखांकित किया गया है। इसके लिए भारत के आपदा प्रबंधन तंत्र के विभिन्न पक्षों की विवेचना करना आवश्यक हो जाता है। गौरतलब है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के पारित होने के 15 वर्ष पर उपरांत भी न तो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण की कोई स्पष्ट रुपरेखा एवं प्रभावी भूमिका देखी गई है तथा न ही अभी तक इस अधिनियम के तहत आपदाओं के दौरान चुनौतियों से निपटने के लिए गठित किया जाने वाले 'राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया दल' (NDRF) की कोई स्पष्ट रुपरेखा व भूमिका तैयार हुई है। सबसे चौकाने वाली बात यह है कि अधिकांश राज्यों में 'राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (SDMA) का गठन ही नहीं किया गया है। हालांकि 1 जून 2016 को पहली बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) को केंद्र सरकार ने तैयार किया जिसमें जापान में 2015 में सेंडाई फ्रेमवर्क में घोषित चार प्राथमिकताओं को आपदा जोखिम में कमी करने के फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है। इसके लिये पाँच कार्यक्षेत्र निम्न हैं:

1. जोखिम को समझना

2. एजेंसियों के बीच सहयोग
3. आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction-DRR) में सहयोग
4. संरचनात्मक उपाय
5. क्षमता विकास

लेकिन लगभग 5 वर्षों के उपरांत भी अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की इस राष्ट्र योजना को धरातल पर नहीं उतारा जा सका है। यदि हमारी सरकारों की राजनीतिक एवं प्रशासनिक दुर्दश इस सीमा तक है तो आखिर कैसे हमारी सरकार कोरोना संकट जैसी आपदाओं से निपट पाएगी तथा किस तरह से सरकारों के प्रयासों को साहसिक करार दिया जाए? वस्तुतः बिना किसी ठोस आधारभूत संरचना व रणनीति के अभाव में सरकारों के द्वारा किए गए साहसिक प्रयासों को दुस्साहसिक या अपनी कमजोरियों को छुपाने वाला कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए।

कोविड–19 के इस वैश्विक महामारी के दौरान भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का आपदा प्रबंधन की दृष्टि से मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है कि आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया के मापदंडों पर इनका मूल्यांकन किया जाए। वस्तुतः आपदा प्रबंधन के तीन चरण प्रमुख रुप से माने गए हैं जिसमें पहला चरण होता है आपदा के पूर्वानुमान का सही आकलन करना और उसके आधार पर आपदा से पूर्व ठोस कार्ययोजना का निर्माण करना। दूसरा चरण होता है जब आपदा आ चुकी होती है तब आपदा से निपटने के लिए कार्ययोजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा तीसरा चरण होता है आपदा के गुजर जाने के उपरांत आपदा के साइड इफेक्ट्सों को कम करके सामान्य स्थिति बहाल करना। कोरोना संकट के अंतर्गत भारत सरकार के कदमों को उपर्युक्त तीनों मापदंडों के आधार पर मापना चाहिए। गौरतलब है कि भारत में कोरोनावायरस का संकट बहुत देर से आया है इससे 3 माह पूर्व इस वायरस द्वारा चीन, इटली व जर्मनी सहित कई देशों में तबाही देखी जा रही थी। दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों में इस संकट से निपटने की प्रभावी कार्य योजनाओं को भी देखा जा चुका था। भारत सरकार के लिए वैश्विक स्तर तांडव मचा रही इस प्रकार की संक्रामक महामारी जनित आपदा का सही पूर्वानुमान नहीं लगाना निश्चित रुप से आपदा प्रबंधन के मापदंड के अनुसार बहुत बड़ी विफलता मानी जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सही समय पर भारत का आपदा प्रबंधन तंत्र कोविड–19 के संकट का पूर्वानुमान लगाकर विदेशों से आने वाले लोगों की सही स्क्रीनिंग, जांच, आइसोलेशन व कड़ी निगरानी रखता तो निश्चित रुप से भारत को जिस लॉकडाउन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा तथा जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था बेपटरी हुई। शायद उसकी आवश्यकता हीं नहीं पड़ती। इस आपदा की तीव्रता को कम करने के लिए यह आवश्यक था कि समय रहते, हमारे आपदा प्रबंधन तंत्र को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं व प्रशासनिक स्तर की तैयारी कर लेनी चाहिए थी। दक्षिण कोरिया तथा सिंगापुर जैसे देशों ने इस क्षेत्र में समय रहते प्रभावी कदम उठाकर अपने नागरिकों को लॉकडाउन जैसी समस्या से बचा लिया। अभी तक लाइलाज इस महामारी के विस्तार को रोकने का उचित समाधान यही है कि संक्रमित लोगों की सही समय पर पहचान करके उन्हें क्वारेंटाइन किया जाए। लेकिन भारत में जांच प्रक्रिया जिस धीमी गति से चल रही है वह निश्चित रुप से ही आपदा प्रबंधन के मानकों पर खरी नहीं उतर रही है। भारत की आबादी के 5 प्रतिशत से भी कम हिस्से वाले दक्षिणी कोरिया ने केवल अधिक जांच के माध्यम से इस महामारी पर नियंत्रण पाया है। भारत सरकार को इस आपदा के पूर्वानुमान तथा उससे निपटने की रणनीति के लिए विश्व के अन्य कोरोना वायरस से ग्रसित देशों की तुलना में बहुत अधिक समय मिला है। यदि भारत में कोरोना संकट की तीसरी अवस्था अर्थात सामुदायिक संक्रमण स्तर पर पहुंचता है और इस कोरोना संकट से बड़ी मानवीय क्षति पहुंचती है तो निश्चित रुप से ही यह भारत के आपदा तंत्र की बहुत बड़ी विफलता ही मानी जाएगी।

आपदा प्रबंधन का दूसरा चरण यह कहता है कि आप किसी आपदा के आने के उपरांत प्रभावी तरीके से आपदा योजना को क्रियान्वित किया जाए। इस संदर्भ में देखा जाए तो 24 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन की घोषणा किया जाना निश्चित रुप से ही इस संकट के लिए तात्कालिक परिस्थितियों में अति आवश्यक कदम था। लेकिन लॉकडाउन के उपरांत भारत में प्रवासी श्रमिकों का व्यापक स्तर पर पलायन तथा क्वारेंटाइन सेंटरों में देखी गई अव्यवस्था से यह सिद्ध हुआ कि लॉकडाउन के लिए सरकार की कोई स्पष्ट कार्ययोजना नहीं थी और न ही इस लॉकडाउन के फलस्वरुप उत्पन्न होने वाले परिणामों का पूर्वानुमान किया गया था। जिस समय देश में तालाबंदी की घोषणा की गई उवस समय भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या मात्र 536 थी। यदि कुछ दिनों

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

का समय देकर इस तालाबंदी की घोषणा की जाती तो निश्चित रुप से ही तालाबंदी के कारण जिस प्रकार का एक नया संकट देश के सामने उत्पन्न हुआ शायद उससे बचा जा सकता था। लॉकडाउन के उपरांत देश की सड़कों व विभिन्न शहरों की गलियों में पलायन, भूख व अफरा तफरी का जो संकट देखा गया वह सरकार की उपयुक्त कार्ययोजना के अभाव के साथ–साथ भारत की प्रशासनिक ढांचे की विफलता का भी परिचायक है। वैश्विक महामारी कोविड–19 की आपदा के साथ–साथ इस घोषित लॉकडाउन में गरीबी, भुखमरी व पलायन के एक नवीन प्रकार के संकट का भी जन्म हुआ। इसे आपदा प्रबंधन के भीतर प्रबंधन की आपदा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह इस बात से और सिद्ध हो जाता है कि सड़कों पर अफरा–तफरी के मंजर के 6 दिन बाद राज्यों व जिलों की सीमाओं को सील करने के आदेश जारी कर दिए गये। लॉकडाउन के दो चरणों की समाप्ति के उपरांत बिना किसी स्पष्ट कार्ययोजना के राज्यों को अपने–अपने प्रवासी श्रमिकों को घर ले जाने की छूट दे दी गई। लेकिन इसे किस प्रकार व्यावहारिक रुप दिया जाए इसकी कोई स्पष्ट रणनीति का अभाव देखा गया। यही कारण था कि प्रवासी श्रमिकों का बड़े स्तर पर भारत की सड़कों पर पलायन देखा गया। इस पलायन के दौरान कई प्रवासी श्रमिक विभिन्न दुर्घटनाओं का शिकार हुए तो कई ने भोजन के अभाव में भूख से तड़पकर दम तोड़ दिया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे आदेशों के पीछे भी कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है।

कोविड–19 के इस संकट ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि भारतीय प्रशासन में किसी आकस्मिक आपदा के समय आकस्मिक रुप से उठाए जाने वाले कदमों के क्रियान्वयन की क्षमता नहीं है। वस्तुतः भारतीय प्रशासन की यह स्थिति कोई अचानक से उत्पन्न नहीं हुई बल्कि वर्षों से अनेकों सुधार आयोग ने भारतीय प्रशासन के लकवे से ग्रस्त होने की स्थितियों को बखूबी बताया था और इसके समाधान के लिए कई प्रकार के सुझाव दिए थे। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, 1968, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारी आयोग 1988 व मदन मोहन पुंछी आयोग 2007, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2009 ने प्रशासनिक दक्षता व प्रभावशीलता के लिए हजारों सिफारिशें प्रतिपादित की, लेकिन यह हमारे राजनीतिक व्यवस्था के लकवाग्रस्त होने का ही परिणाम है कि आज भी इन आयोगों की सिफारिशें धूल खा रही हैं। जब आपदा प्रबंधन अधिनियम जैसे आवश्यक कानूनों का ही विगत 15 वर्षों से क्रियान्वयन नहीं हुआ तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था से प्रशासनिक सुधार की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? इस लॉकडाउन के दौरान पुलिस का जो अमानवीय चेहरा सामने आया वस्तुतः वह भारतीय पुलिस की एक परंपरा बन गया है। आखिर कैसे हम पुलिस प्रशासन से एकाएक किसी संवेदनशील, दक्ष, प्रभावी व मानवीय चरित्र से पूर्ण व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं? 1980 के दशक की पुलिस सुधार के संदर्भ में धरमवीर आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें अभी भी राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण अपने क्रियान्वयन का इंतजार कर रही है। भारत जैसे भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र में इसकी आशा करना भी बेमानी होगा क्योंकि पुलिस व प्रशासन नागरिक हितों से अधिक राजनीतिक हितों की पूर्ति अधिक करती है।

कल्पना कीजिए यदि कोरोना संकट की शुरुआत चीन, इटली की तरह भारत से होती तो तबाही का क्या मंजर होता? गहराई से विचार करे तो इसके परिणामों की कल्पना मात्र से मन सिहर उठता है। अभी भी भारत इस संकट से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ की यहां यह प्रश्न उठाना अति आवश्यक है कि यदि भारत में कोरोना वायरस सामुदायिक स्तर पर प्रसारित होकर तबाही का रुप धारण कर लेगा, तो क्या हमारी सरकारों की इससे निपटने की तैयारियाँ है? यहां यह भी अवश्य सोचा जाना चाहिए कि कोरोना संकट समय के साथ चला भी जाएगा, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाले आर्थिक चुनौतियों से निपटने की कोई कार्ययोजना क्या हमारी सरकारों के पास है? यह इसलिए भी चिंताजनक बात है क्योंकि हाल ही की सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 में बेरोजगारी स्वतंत्रता के उपरांत के 23.53 प्रतिशत के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है। लॉकडाउन की वजह से भारत के विकास दर में गिरावट को लेकर बार्कलेज की रिपोर्ट चिंताजनक है। इसमें कहा गया है कि तीन सप्ताह के लॉकडाउन की वजह से कैलेंडर ईयर 2020 में भारत की जीडीपी 2.5 प्रतिशत तक गिर सकती है। पहले इसने भारत के लिए 2020में 4.5 प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान लगाए हैं। बार्कलेज ने भारत के विकास दर अनुमान को 4.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 28 अप्रैल 2020 को जारी अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2020 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर 0.2 प्रतिशत कर दिया है। यदि ऐसा होता है तो यह 1992 के आर्थिक सुधारों के बाद देश का सबसे कम ग्रोथ रेट होगा। यदि इस संबंध में अभी भी हमारी कोई कार्ययोजना नहीं है तो निश्चित रुप से ही जो आज हमारी सरकारों पर आपदा का पूर्वानुमान की विफलता का तमगा लग रहा है वह भविष्य में उत्पन्न होने वाली विकट परिस्थितियों के लिए और भी

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

बड़ा हो जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत घोषित इस लॉकडाउन के दौरान भारतीय आपदा प्रबंधन की एक और कमी सामने निकलकर आई वह है। केंद्र व राज्यों के मध्य उचित समन्वय का अभाव। उल्लेखनीय है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम में केंद्र, राज्य व जिला स्तर पर त्रिस्तरीय आपदा प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है लेकिन इन तीनों स्तरों के बीच समन्वय की कोई स्पष्ट रुपरेखा नही बतलाई गई है।

कोरोना संकट का भविष्य क्या होगा इस बारे में निश्चित रुप से ही कुछ भी भविष्यवाणी किया जाना संभव नहीं है लेकिन इस संकट से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमारे आपदा प्रबंधन तंत्र, प्रशासनिक व पुलिस तंत्र को सुदृढ़ किए जाने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता हैं। आवश्यकता यह भी है कि विकट आपदाओं के समय संघीय ढांचे में केंद्र व राज्यों की पृथक–पृथक भूमिकाएं स्पष्ट हो और उन्हें किस प्रकार से एकीकृत किया जाना होगा। इसका भी उल्लेख हो इसके लिए न केवल परिस्थितिजन्य नए सुधार आयोग को गठित करके त्वरित रुप से उनके सुझावों पर अमल करने की आवश्यकता है। बल्कि वर्षों से लंबित पड़ी सिफारिशों को भी प्रभावी रुप से क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए राजनीति में चुनाव सुधारों के साथ–साथ प्रशासनिक व्यवस्था की भर्ती एवं प्रशिक्षण व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता हैं। अब यह समय आ चुका है कि हम हमारे आपदा तंत्र को चुस्त–दुरुस्त बनाएं एवं भारत में सामान्य आधारित प्रशासनिक सेवाओं को विशेषज्ञ आधारित सेवाओं में तब्दील किया जाए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति की कोई स्पष्ट व्यवस्था बनानी होगी जिसमें सत्ता पक्ष के साथ–साथ विपक्ष अथवा नागरिक समाज की भी बराबर भूमिका हो। आवश्यकता इस बात की भी है कि किसी भी आपदा से निपटने की सबसे अधिक चुनौती जिला स्तर पर ही होती है अतः आपदा प्रबंधन तंत्र में विकेंद्रीकरण लाते हुए जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन तंत्र को अधिक सक्षम बनाना होगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरुप बनाकर भविष्य की आने वाली आपदाओं की चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र को तैयार करना होगा। भविष्य में भी, किसी अन्य आपदा के समय इसी प्रकार की विफलताओं एवं चुनौतियों का सामना करते हुए देखा जाता है तो निश्चित रुप से ही कोविड–19 की इस वैश्विक आपदा से सीख नहीं लेने की कीमत भारत को चुकानी पड़ सकती है। कोविड–19 की यह मानवीय आपदा जहां एक ओर भारत के समक्ष चुनौती है तो वही दूसरी ओर इसे भारत को अपने आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के एक अवसर के रुप में लिया जाना चाहिए।

यह सोचने का विषय है कि प्रकृति का एक चुनौती ने मानव समाज के सामने संकटों का अम्बार लगा दिया अब देखना यह है कि मानव इन सबसे कैसे उभरता है? साथ ही उत्तर–कोविड समाज कैसा होगा, लोगों के व्यवहार या व्यक्तित्व में क्या बदलाव आएगा, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा इत्यादि गहन चिंता का विषय हैं।

निष्कर्ष–

कॉविड़–19 एक वैश्विक महामारी है। इसके प्रभाव से समस्त विश्व तरह–तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। विश्व की बड़ी–बड़ी शक्तियाँ रुस, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पैन, जर्मनी, फ्रांस इसकी चपेट में आ गये है। भारत देश भी इस समस्या से अछूता नहीं रहा हैं। कॉविड़– 19 मानवीय आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदमों ने आपदा संकट के भीतर प्रबंधन की आपदा को जन्म दिया है। इस संकट से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। हमारे आपदा प्रबंध तंत्र प्रशासनिक व पुलिस तंत्र को दृढ़ राजनैतिक इच्छा शक्ति के साथ सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। साथ ही ऐसी विकट आपदा के समय केन्द्र व राज्यों सरकारों को एकीकृत होकर संगठित रुप से कार्य करने की आवश्यकता है। जिसके साथ निर्वाचन सुधारों के साथ–साथ प्रशासनिक व्यवस्थाओं, भर्ती प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। साथ ही आपदा प्रबंधन तंत्र के विकेन्द्रीकरण के भी प्रयास करना होगा। इस आपदा को चुनौती के साथ–साथ भारत के आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए एक अवसर के रुप में लिया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ–

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

- आहूजा, राम– "सामाजिक सर्वेक्षण व अनुसंधान" रावत पब्लिकेशन्स जयपुर (राज.)–2005 पृ.सं. 62–63
- चौधरी, जे.सी.– मैनेजिंग डायरेक्टर, आकाश इंस्टिट्यूट, "विश्व स्तर पर कोरोना वायरस के वर्तमान एवं बाद में प्रभाव" दैनिक भास्कर में प्रकाशित, 11.05.2020।
- चौहान, आशु, चेटक "महिला एवं बालकों के विरुद्ध अपराध" आर.बी.डी. पब्लिकेशन्स, जयपुर, दिल्ली सत्र–2020, पृ.सं. 4–5
- नाटाणी प्रकाश नारायण एवं शर्मा प्रज्ञा (2007) : "भारत में सामाजिक समस्याऐं" श्रीमती शशि जैन, पाइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर
- राजौरा डॉ. सुरेश चन्द्र (2000) : "समकालीन भारत की सामाजिक समस्याऐं", राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर
- शर्मा, जी.एल.– "सामजिक मुद्दे" (Social Issues) रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर (राज.), पृ.सं. 79
- सिड़ाना, ज्योति "कोरोना का सामाजिक–आर्थिक प्रभाव" दैनिक भास्कर में प्रकाशित ई–पेपर।
- यादव, सी.वी., "देश के विमर्श समकालीन उभरते हुए मुद्दे" पारीक पब्लिकेशन्स चौड़ा रास्ता, जयपुर (राज)–2020, पृ.सं. 103–104
- यंग, पी.वी. – 1968, (साइंटिफिक सोशल सर्वे एण्ड़ रीसर्च) प्रिंट हॉल, नई दिल्ली
- स्रोत – राजस्थान पत्रिका (न्यूज समाचार पत्र), 2 अक्टूबर, 2020 जयपुर (राज.) पृ.सं. 20.

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM